

श्रीमान जी मुलाखि राम स्वामी के खाता संख्या 137 में रामपाल पुत्र पांचू जाति रावल दर्ज है। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम रामपाल सिंह पुत्र पांचू दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम रामपाल सिंह पुत्र पांचू किया जाना उचित है।
 विरासत से प्राप्त हुई है।

(Signature)
 29.9.25
 पटवारी

श्रीमान जी, भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा रामपाल सिंह पुत्र पांचू दर्ज करने की प्रार्थना पर प्रार्थी के आधार पर किया जाना उचित होगा।

तहसीलदार की रिपोर्ट पं. ह. की रिपोर्ट व भं. अ. ति. की जांच के आधार पर दुरुस्ती की सुझाव दी जाती है।

(Signature)
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 780

प्रमारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 17/10/25

क्रमांक/ 443

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंखा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खापरा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 197 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1)	रामपाल पुत्र पांचू जाति रावल शेष 85	622	0.08	1) रामपाल सिंह पुत्र पांचू जाति :- रावल शेष 85	622	0.08



सं. 5797-98

दिनांक: 17/10/25

प्रति लिपि :- 1) तहसीलदार नसीराबाद को पालना
 2) प्रमुख पता.

(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद (आ. अ.)